P.S. [illegible] 4.6.2020

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एंव पंचायत विभाग ।

सेवा मे

समस्त उपायुक्त,
हरियाणा राज्य में।

Office of H.G.S.A.
Diary No. 1465
Date 4-6-2020

क्रमांकः–एस0बी0ए0–4–2020/ दिनांकः 04/06

विषयः– चरान्द की भूमि गोशालाओं एंव नन्दीशालाओं की स्थापना एंव चारे हेतु उपलब्ध करवाने बारे ।

:-:-:-:-

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एस0बी0ए0–4–2019/7500–7521 दिनांक 04.02.2019 के संदर्भ में।

सन्दर्भाधीन पत्र द्वारा जारी हिदायतों अनुसार गउशाला अथवा नन्दीशाला की स्थापना हेतु खुली बोली के जरिये अथवा एकल बिड की अवस्था में न्यूनतम पटटा राशि 5100/– रू0 तथा 7100/– रू0 प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से दिये जाने की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार रजिस्टर्ड गउशालाओं के पशुओं के लिए चारे हेतु भूमि पटटे पर देने के लिए उसी गांव में स्थित पंजीकृत गउशाला के लिए न्यूनतम पटटा राशि 5100/–रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ तथा पड़ोसी गावों में स्थित गउशाला के लिए न्यूनतम पटटा राशि 7100/–रू0 प्रति वर्ष प्रति एकड़ निर्धारित की गई थी।

इस संबंध में पुनर्विचार उपरान्त निर्णय लिया गया है कि उक्त दोनों उददेश्यों हेतु भूमि पटटा पर देने के लिए न्यूनतम पटटा राशि 1000/– प्रति वर्ष एकड़ होगी । सन्दर्भाधीन पत्र द्वारा जारी की गई अन्य निबन्धन एंव शर्ते यथावत रहेगी।

हस्ता/-
उप निदेशक पंचायत–IV
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

पृष्ठाकन क्रमांक एस0बी0ए0–4–2020/ 40419-671
दिनांकः 28-05-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पशुपालन एंव डेयरिंग विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
2. सचिव गौ–सेवा आयोग, हरियाणा, पंचकूला।
3. समस्त अतिरिक्त उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हरियाणा राज्य में।
5. समस्त जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
6. समस्त जिला राजस्व अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
7. समस्त उपनिदेशक पशुपालन, हरियाणा राज्य में।
8. समस्त खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य में।

उप निदेशक पंचायत–IV
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।